न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार सिन्घव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 5/15 निर्णय दिंनाक 06.06.2017

1. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल।
2. महावीर पुत्र मथुरालाल।
3. नरेश पुत्र मथुरालाल।
4. कालीबाई पत्नि मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :–

वादीगण स्वंय

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं खोदारी अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी क्रम 01 लगायत 03 के पिता व वादनी क्रम 04 के पति मथुरालाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ के रहने वाले थे मथुरालाल को कुछ जानकार लोग मदनलाल के नाम से भी जानते व बोलते थे अर्थात मदनलाल व मथुरालाल दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था परन्तु मथुरालाल नाम ही अधिक प्रचलित था और वह भी लगभग सभी जगह मथुरालाल नाम का ही उपयोग करते थे। ग्राम सावनभादौ में मदनलाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल नाम का कोई अन्य व्यक्ति न तो पहले था और न आज ही है। मथुरालाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ व मदनलाल पुत्र नंदलाल निवासी सावनभादो दोनों अलग–2 व्यक्ति नंही है। बल्कि दानों नाम का एक ही व्यक्ति है जो वादीगण क्रम 01 लगायत 03 के पिता व वादनी क्रम 04 के पति हैं, जिनका स्वर्गवास दिंनाक 23.01.1997 को सावनभादौ में हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

यह कि वादी क्रम 01 लगायत 03 के पिता व वादनी क्रम 04 के पति मथुरालाल को दिंनाक 19.02.1992 को ग्राम सावनभादौ की आराजी खसरा नंबर 165/9 की 04 बीघा आराजी आवंटन हुई थी, परन्तु आवंटन में मथुरालाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ के स्थान पर मदनलाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ दर्ज कर दी गई और आवंटित की गई आराजी पर मथुरालाल उर्फ मदनलाल को मौके पर कब्ज दे दिया जिसे वक्त आवंटन से फौत होने तक मथुरालाल जी काश्त करते रहे तथा उनके फोत होने के पश्चात से आज तक वादीगण काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर 165/9 की 04 बीघा के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नंबर 324 रकबा 0.65 है0, कायम किये गये जो वर्तमान में भी मदनलाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ के खातेदारी में दर्ज है। जिसपर वादीगा काबिज काश्त है।

यह कि मथुरालाल उर्फ मदनलाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ के फौत होने पर वादीगण ही उनके लीगल वारिसान हैं, तथा उनके स्थान पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं, तथा अपने को खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं।

यह कि वादीगण क्रम 01 लगायत 03 के बचपन में ही मथुरालाल के ौत हो जाने तथा वादनी क्रम 04 आशीक्षित व देहाती महिला होने से अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करने में असमर्थ रही बाद में जब वादीगण ने मथुरालाल का फोती इन्तकाल खुलवाना चाहा तो हल्का पटवारी द्वारा मदनलाल व मथुरालाल नामों के फेर में डालकर टालम टोल करता रहा अन्त में वादीगण द्वारा तहसीलदार साहब कनवास के पास प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में दावा दायर करने की सलाह दी इस पर यह दावा इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण अन्तिम मर्तमा प्रतिवादी द्वारा मदनलाल उर्फ मथुरालाल के फोती इन्तकाल दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त करने व दावा दायरी की सलाह देने पर दिंनाक 16/10/2014 को उत्पन्न हुआ।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी व वादीगण दोनों ही ग्राम सावनभादौ के होने से माननीय न्यायालय को इस वाद का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व खातेदारी घोषणा की डिक्री पारीत की जाकर ग्राम सावनभादौ में स्थित खातेदार मदनलाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल सा0देह के खाते में दर्ज खसरा नंबर 324 की रकबा 0.65 है आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित कर मदनलाल के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे विकल्प में मदनलाल का फोती इन्तकाल में वादीगण राधेश्याम, महावीर, नरेश पुत्रान मथुरालाल उर्फ मदनलाल व कालीबाई बेवा मथुरालाल उर्फ मदनलाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ दर्ज किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जर्ये सम्मन की गई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार 2017) ग्राम पंचायत सावनभादौ में पेश हुई। वादीगण उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये गये। जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम सावनभादौ के वाद में वर्णित खसरा नंबर 324 की 0.65 है0, भूमि वर्तमान में मदनलाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल के खाते दर्ज रेकार्ड है। उक्त खसरा नंबर 324 की 0.65 हे0, भूमि गत खसरा नंबर 165/1 की रकबा 04 बीघा भूमि से बने है जो भूमि मदनलाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल निवासी निवासी सावनभादौ के नाम गैर खातेदार में दर्ज हुई जो आज दिंनाक तक इसी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नाम से खातेदर्ज चली आ रही है। जवाब सरकार अनुसार मौके पर जानकारी की गई जो गत खसरा नंबर 165/1 की रकबा 04 बीघा का आवंटन मथुरालाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल निवासी सावनभादौ को भी किया गया था। मथुरालाल को मदनलाल के नाम से भी जाना जाता है। वक्त आवंटन आवंटी द्वारा नाम मदनलाल बता दिये जाने से आवंटी भूमि पर नाम मथुरालाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज हो गया। मुताबिक जानकारी मथुरालाल पुत्र नंदलाल जाति मेघवाल एवं मदनलाल पुत्र नंदलाल मेघवाल दोनों अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः वादीगण 01 लगायत 04 को खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सावनभादौ के वर्तमान खसरा नंबर 324 की रकबा 0.65 है0,कृषि भूमि का खातेदार मदनलाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल निवासी सावनभादौ के स्थान पर राधेश्याम, महावीर, नरेश पुत्रान मथुरालाल उर्फ मदनलाल व कालीबाई बेवा मथुरालाल उर्फ मदनलाल कौम मेघवाल निवासी सावनभादौ को घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.06.2017 को मजमे आम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिन्घव आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार सिन्घव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल।
2. महावीर पुत्र मथुरालाल।
3. नरेश पुत्र मथुरालाल।
4. कालीबाई पत्नि मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 5/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 06.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम सावनभादौ के वर्तमान खसरा नंबर 324 की रकबा 0.65 है0,कृषि भूमि का खातेदार मदनलाल पुत्र नंदलाल कौम मेघवाल निवासी सावनभादौ के स्थान पर राधेश्याम, महावीर, नरेश पुत्रान मथुरालाल उर्फ मदनलाल व कालीबाई बेवा मथुरालाल उर्फ मदनलाल कौम मेघवाल निवासी सावनभादौ को घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

(प्रमोद कुमार सिन्घव आर ए एस)

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत

उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार सिन्धव आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)